बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–31.07.2018 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में अल्प वर्षापात से उत्पन्न स्थिति एवं बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की कार्यवाही।

---

1. उपस्थिति – संलग्न।

2. माननीय मुख्य मंत्री, बिहार द्वारा वर्त्तमान में अल्पवर्षापात के मद्देनजर उत्पन्न स्थिति पर दिनांक 22.07.2018 को सम्पन्न बैठक एवं दिनांक 13.06.2018 को संभावित बाढ़ की तैयारी की समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में सभी संबंधित विभाग एवं सभी जिला पदाधिकारी के साथ राज्य में वर्त्तमान में दिनांक 22.07.2018 से हुई वर्षापात के आलोक में समीक्षा की गई। बैठक में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पटना, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से वर्त्तमान स्थिति से अवगत कराया गया। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से भी माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया।

3. <u>भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)</u>

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बताया गया कि दिनांक 30.07.2018 तक राज्य में औसत वर्षापात में कमी 24 प्रतिशत है, जिसमें 19 प्रतिशत से अधिक विचलन वाले जिलों की संख्या – 26 है तथा सामान्य वर्षापात वाले जिलों की संख्या – 12 (औरंगाबाद, बाँका, भभुआ, भागलपुर, गया, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, नवादा, सीतामढ़ी एवं प0 चम्पारण) है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 50 प्रतिशत से अधिक वर्षापात में विचलन वाले 3 जिला यथा सहरसा, सारण एवं वैशाली है। बिहार में मॉनसून टर्फ के गुजरने के कारण राज्य में 22 जुलाई के बाद से अच्छी वर्षापात हो रही है। माह जुलाई में सामान्य वर्षापात 333.9 एम0एम0 के विरूद्ध 279.0 एम0एम0 वर्षा हो चुकी है, जो माह जुलाई के औसत वर्षापात से मात्र 16 प्रतिशत कम है। 6–7 अगस्त 2018 के बाद दक्षिणी बिहार एवं झारखंड राज्य में wide spread वर्षापात होने की संभावना है। माह अगस्त में उत्तरी बिहार में भी अच्छी वर्षा होने की संभावना है।

4. आपदा प्रबंधन विभाग

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा दिनांक 13.06.2018 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा संभावित बाढ़ एवं अल्प वर्षापात की स्थिति में किए जाने वाली पूर्व तैयारियों के संबंध में सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में बताया गया कि PFMS प्रणाली के माध्यम से 23 बाढ़ प्रवण जिलों का डाटावेस पूरी तरह तैयार कर लिया गया है तथा खातों का सत्यापन भी करा लिया गया है, जिससे आपदा की स्थिति में लाभुकों के खाते में राशि सीधे हस्तांतरित किया जा सके। पुलिस भवन में नए SEOC कार्यालय में 10 अगस्त तक कार्यालय स्थापित कर लिया जाएगा एवं इसके

सुदृढीकरण हेतु विभिन्न एजेंसियों के बीच EoI के आलोक में दर प्राप्त हो चुका है। बाढ़ एवं अन्य आपदा के दौरान बेहतर समन्वय हेतु Mobile Connectivity की समस्या को दूर करने के लिए सेना, SSB, NDRF, SDRF तथा मोबाईल सर्विस प्रोवाईडर के साथ बैठक कर ली गई है एवं तदनुसार सभी जिलों को सूचित कर दिया गया है। आपदा से मृत व्यक्तियों को 24 घंटे के अन्दर अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध करवाने हेतु वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में जिलों में Corpus Fund के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जिलों में नव पदस्थापित अंचलाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के लिए आपदा प्रबंधन से संबंधित उन्मुखीकरण/ प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से बिपार्ड में चल रहा है। सभी जिलो के प्रभारी सचिव/ प्रधान सचिव के द्वारा अपने प्रभार के जिले में भ्रमण कर बाढ़ एवं सुखाड़ के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा कर ली गई है।

5. जल संसाधन विभाग

जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि नहरों पर सतत् निगरानी एवं गहन प्रबोधन कर नहरों में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाकर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। सोन नहर प्रणाली के अन्तर्गत सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज में 58752 घनसेक जलस्राव उपलब्ध है। पूर्वी एवं पश्चिमी संयोजक नहरो में क्रमशः 4196 एवं 7503 घनसेक जलस्राव प्रवाहित किया जा रहा है। सोन नहर प्रणाली में आवश्यकतानुसार जलस्राव उपलब्ध कराने हेतु बाण सागर एवं रिहन्द जलाशयों से क्रमशः 8000 एवं 5000 घनसेक जलस्राव प्राप्त किया जा रहा था, परन्तु वर्त्तमान में सोन कमाण्ड क्षेत्र में अच्छी वर्षा के कारण वहाँ से जलापूर्त्ति बंद करा दिया गया है। गंडक नहर प्रणाली के अंतर्गत बाल्मीकीनगर बराज पर 127600 घनसेक जलस्राव उपलब्ध है, जिससे पूर्वी एवं पश्चिमी मुख्य नहरो में क्रमशः 9000 एवं 12000 घनसेक जलस्राव प्रवाहित कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। कोशी नहर प्रणाली के वीरपुर बराज में 122895 घनसेक जलस्राव उपलब्ध है जिससे पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी मुख्य नहरों में क्रमशः 10000 एवं 3000 घनसेक जलस्राव प्रवाहित हो रहा है।

संभावित बाढ़ 2018 की तैयारी निमित्त तटबंधों के अतिसंवेदनशील स्थलों पर न्यूनतम 10000 अदद् बालू भरे बोरे, 200 घनमीटर बोल्डर एवं 200 अदद् बी0ए0 वायर क्रेट तथा संवेदनशील स्थलों पर 5000 अदद् बालू भरे बोरे का भंडारण किया गया है। इसके अतिरिक्त पोर्टेबल जेनरेटर, हैलोजन लाईट, नायलन क्रेट, जियो बैग इत्यादि से सज्जित मोबाईल एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। कैम्पों में 20 से 50 मजदूर की भी व्यवस्था की गई है तथा तटबंध के प्रत्येक 10 किलोमीटर पर एक कनीय अभियंता के नियंत्राधीन अस्थायी मुख्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें होमगार्ड को भी रहने की व्यवस्था की गई है।

6. कृषि विभाग

कृषि विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा बताया गया कि राज्य में धान के बीचड़ा का आच्छादन 97.91 प्रतिशत एवं धान रोपनी का आच्छादन 50.43 प्रतिशत तथा मक्का का आच्छादन 74.36 प्रतिशत है। रोहतास, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण,

सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियां, किशनगंज, अररिया एवं कटिहार जिला में 50 प्रतिशत से अधिक धान की रोपनी हो चुकी है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर, सारण, वैशाली, बेगूसराय, शेखपुरा, खगड़िया एवं भागलपुर जिले में 25 से 50 प्रतिशत तक धान की रोपनी हुई है, जबकि पटना, नालन्दा, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, जमुई एवं बांका जिला में 25 प्रतिशत से कम धान की रोपनी हुई है। वर्त्तमान वर्षापात को देखते हुए रोपनी का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसे 15 अगस्त 2018 तक कर लिया जाएगा। कुछ जिले जहाँ धान की रोपनी का कार्य विलंब से प्रारंभ किया जाता है, उन जिलों में अगस्त के अन्तिम सप्ताह तक धान रोपनी का कार्य पूर्ण हो जाएगा।

प्रधान सचिव के द्वारा बताया गया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून की अनियमित होने की स्थिति में अल्प अवधि के धान बीज के वितरण का कार्यक्रम है। धान की सामुदायिक नर्सरी विकास योजना के अंतर्गत सभी 38 जिलों के प्रत्येक प्रखंड में 10 एकड़ प्रति प्रखंड 5340 एकड़ में धान की सामुदायिक नर्सरी तैयार किया गया है, जिससे 53400 एकड़ में धान की रोपाई किया जा सकेगा। आकस्मिक फसल योजना के अंतर्गत किसानों से सम्पर्क स्थापित कर उनके आवश्यकतानुसार वैकल्पिक फसल हेतु शत–प्रतिशत अनुदान पर बीज वितरण हेतु 1500 लाख रूपये की योजना की स्वीकृति प्रदान किया चुका है। डीजल अनुदान के वितरण के लिए 6 लाख रूपये की योजना की स्वीकृति कर ऑन लाईन 528537 पंजीकृत कृषकों से प्राप्त 76291 आवेदनों के विरूद्ध 5060 कृषकों को 4470476 रूपये का भुगतान किया जा चुका है।

7. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में भू–जलस्तर की स्थिति में सुधार हुआ है। जुलाई 2018 के तृतीय सप्ताह के तुलना में जुलाई माह के चौथे सप्ताह में पटना में 1', नालन्दा में 1'–3', गया में लगभग 7', नवादा में 1', औरंगाबाद में 6', जहानाबाद में 1', अरवल में 3'', भोजपुर बक्सर में लगभग 1', रोहतास में 1' से उपर, कैमूर एवं मुंगेर में लगभग 2.5', जमुई में 6'' से उपर, शेखपुरा में लगभग 3'', लखीसराय में 3' से उपर, भागलपुर में 3'' इंच से उपर एवं बांका में 1.5' से उपर भू–जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। उत्तरी बिहार के भी जिलो में भू–जल की स्थिति में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

वर्तमान में 233 जल टैंकरों के माध्यम से 51 प्रखण्डों के 84 पंचायतों के 122 ग्रामों / टोलों / वार्डों में पेयजल सुविधा दी गई है। चापाकलों की मरम्मति हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 852 चलन्त मरम्मति दल कार्यरत है तथा आकस्मिक योजना के तहत 4200 नए चापाकल के निर्माण हेतु 19.49 करोड़ रू0 की राशि कर्णांकित की गई है। वर्ष 2018–19 में अबतक 52243 चापाकलों की मरम्मति की गई है, जिसमें पिछला सप्ताह 20.07.2018 से अबतक 17889 चापाकलों की मरम्मति करायी गई है। कम वर्षापात होने की स्थिति में पशुओं के लिए संभावित पेयजल की समस्या से निपटने हेतु 1/2/3 अश्व शक्ति क्षमता के सौर्य उर्जा एवं cattle trough के साथ 1500 स्थलों के लिए 42.21 करोड़ रू0 की योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है एवं इससे संबंधित अनुदेश सभी जिलों को

भेजा जा चुका है। वर्त्तमान में पशुओं के लिए जल संकट की स्थिति नहीं है। आम लोगों की शिकायत प्राप्त करने हेतु Toll free नम्बर 1800–123–1121 कार्यरत है।

8. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया कि सभी जिलों में पशु चारा की उपलब्धता हेतु दर एवं आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण कर लिया गया है। जिलों में चारा आपूर्तिकर्त्ताओं के भंडार का आकलन कर लिया गया है। विशेष परिस्थिति में कम्फेड, पटना के स्वामित्व वाले चारा बंकर का उपयोग करने का सुझाव क्षेत्रीय पदाधिकारी को दिया गया है। पशु दवा का क्रय कर इसका वितरण पशु चिकित्सालयों में कराया गया है। पशुओं के दवाओं का भौतिक सत्यापन एवं एक्सपायरी डेट का सत्यापन करवा लिया गया है। पशु रोग निरोधन के अन्तर्गत एच0एस0 एवं बी0 क्यू0 से बचाव हेतु 22 जून 2018 से 11 जुलाई 2018 तक टीकाकरण अभियान चलाकर कुल 16489242 पशुओं को टीकाकृत किया जा चुका है। पशुओ को खुरहा–मुहपका रोग से बचाव हेतु 165.09 लाख पशुओं का टीकाकरण कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 50 चलन्त पशु चिकित्सालय (एम्बुलेट्री भान) की व्यवस्था की गयी है। पुरे राज्य में बाढ़ हेतु 1197 पशु शिविर तथा सुखाड़ हेतु 1473 पशु शिविर हेतु स्थल चिन्हित कर दी गई है, जिसमें जलस्रोतों की उपलब्धता का ध्यान रखा गया है। इसके लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से समन्वय स्थापित कर पशुओं को पेयजल की व्यवस्था हेतु स्थल का चयन किया गया है, जहाँ उनके द्वारा सोलर पम्प के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

संभावित बाढ़ वाले जिलों के कुल 280 पशु चिकित्सा पदाधिकारियों को आपदा संबंधी 4 दिवसीय प्रशिक्षण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के सहयोग से दिया जा चुका है। आवश्यकतानुसार बाढ़ प्रभावित जिलों में एम्बुलेट्री वाहन एवं चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति अन्य जिलों से भी किया जाएगा। सभी जिलों में बाढ़/सुखाड़ राहत कोषांग गठित किया गया है एवं मुख्यालय स्तर पर भी आपदा नियंत्रण कोषांग का गठन किया गया है, जिसका दूरभाष संख्या 0612–2230942 है।

9. जिलावार समीक्षा

माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सभी जिला पदाधिकारी से अल्प वर्षापात से उत्पन्न स्थिति एवं विगत सप्ताह में हुई वर्षापात के मद्देनजर जिलों में वर्षापात की स्थिति, फसल आच्छादन की स्थिति, डीजल अनुदान वितरण की स्थिति, वैकल्पिक फसल योजना अन्तर्गत बीजो की उपलब्धता की स्थिति, धान की सामुदायिक नर्सरी की स्थिति, भू–जल स्तर की स्थिति, नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचने की स्थिति तथा संभावित बाढ़ की पूर्व तैयारी की स्थिति की समीक्षा की गई।

सभी जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में दिनांक 21–22 जुलाई 2018 से हुई वर्षापात के कारण जिलों में सुखाड़ की स्थिति नहीं है। वर्त्तमान में धान की रोपनी हो रही है तथा 15 अगस्त तक 90 प्रतिशत से अधिक रोपनी होने की संभावना है। पूर्व में अल्प वर्षापात के कारण धान की रोपनी प्रभावित हुई थी, परन्तु वर्त्तमान में अच्छी वर्षापात होने तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अच्छे वर्षापात की भविष्यवाणी के

मद्देनजर इस कमी को दूर कर ली जाएगी। सभी जिला पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि किसानों से सम्पर्क स्थापित कर कम वर्षापात होने की स्थिति में वैकल्पिक फसल योजना के अन्तर्गत उनके आवश्यकतानुसार बीजों की आवश्यकता का आकलन कर लिया गया है। किसानों के द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से पंजीकृत कर डीजल अनुदान हेतु आवेदन दिया जा रहा है, जिसका भुगतान उनके खाते में हो रहा है। प्रखण्डों में धान की सामुदायिक नर्सरी है। भू–जल स्तर में सुधार हुआ है तथा नहरों के अन्तिम छोर में पानी पहुँच रहा है, जिससे सिंचाई हो रही है। कुछ जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि राजकीय नलकूपों को निजी लोगों को हस्तांतरित किए जाने से संबंधित विस्तृत जानकारी के अभाव के कारण नलकूपों के हस्तानान्तरण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। कृषकों के द्वारा फसल सहायता योजना के प्रति अति जागरूकता दिखे जाने के आलोक में किसानों के अनुरोध पर इस योजना के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने की तिथि को बढ़ाने का अनुरोध कुछ जिला पदाधिकारी के द्वारा किया गया। जिला पदाधिकारी सुपौल के द्वारा आकस्मिक फसल योजना के अन्तर्गत सोयाबीन एवं अन्य दलहन फसल लगाये जाने पर इसे भी फसल कटनी प्रयोग में शामिल करने का सुझाव दिया गया, जिससे उन्हें फसल सहायता योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त हो सके।

सभी जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि बाढ़ की स्थिति होने पर संभावित बाढ़ से निपटने हेतु उनके द्वारा सभी पूर्व तैयारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप कर लिया गया है। पॉलीथीन शीट्स का टेंडर हो चुका है तथा नोडल जिला द्वारा अधियाचित जिला को उनके अधियाचना के आलोक में पॉलीथीन शीट्स उपलब्ध करायी जा रही है। सूखा राशन हेतु टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा आपूर्तिकर्त्ताओं को चिन्हित कर लिया गया है। जिन जिलों में टेंडर सफल नहीं हुआ है, उनके कमिशनरी के अन्य जिले में सफल टेंडर के आधार पर दर आयुक्त के अनुमोदन के आलोक में किया गया है। निजी नाव मालिकों के साथ एकरारनामा किया जा चुका है तथा सरकारी नावों को कुछ संवेदनशील स्थानों पर प्रिपोजिशन कर दिया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्त्तमान में हुई वर्षा एवं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि द्वारा माह अगस्त में अच्छी वर्षापात होने की संभावना व्यक्त करने तथा जिलों के साथ समीक्षा के क्रम में प्राप्त जानकारी के आलोक में सुखाड़ की स्थिति नहीं रहने पर स्थिति पर निरन्तर निगरानी करने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा 10–11 अगस्त तक सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा पुनः आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक में करने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा जिलों द्वारा संभावित बाढ़ के मद्देनजर की गई पूर्व तैयारी पर संतोष व्यक्त किया गया तथा बाढ़ की स्थिति होने पर इससे निपटने हेतु तैयार रहने का निदेश दिया गया। जिलों के साथ समीक्षा के क्रम में प्राप्त जानकारी के आलोक में निम्न कार्रवाई करने का निदेश दिया गया :–

i. अल्प वर्षापात एवं कम फसल आच्छादन के मद्देनजर मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, पटना एवं नालन्दा जिले में सतत् निगरानी रखा जाय।
ii. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा वर्षापात के लिए की गई भविष्यवाणी के आलोक में कार्रवाई की जाय।
iii. डीजल सब्सिडी वितरण में अपेक्षित तेजी लायी जाय।

iv. फसल सहायता योजना में आवेदन की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ायी जाय तथा इसमें मुश्तैदी से कार्रवाई की जाय।

v. आकस्मिक फसल योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाय एवं देर से रोपनी वाले जिलों में वैकल्पिक फसल लगवाने हेतु कृषि सलाहकार को किसानों के साथ समन्वय बनाकर रखें।

vi. राजकीय नलकूपों को निजी व्यक्तियों को देने हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाय एवं इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय।

vii. खराब नलकूप जो चालू होने की स्थिति में नहीं है के विरूद्ध सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाय।

viii. अल्प वर्षापात होने पर जलसंकट क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति हेतु पानी के टैंकरो को तैयार रखा जाय।

ix. खराब चापाकलों की मरम्मति में तेजी लाया जाय।

x. पशु शिविर में सोलर पंप से पानी पहुंचाने की व्यवस्था हेतु तैयारी कर ली जाय। सुखाड़ की स्थिति में इसका कार्यान्वयन यथाशीघ्र करवाया जाय।

xi. नहरों में अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने हेतु यथोचित कार्रवाई की जाय एवं इसपर निगरानी रखी जाय।

xii. बाढ़/ सुखाड़ की स्थिति होने पर पशु शिविर की स्थापना हेतु आवश्यक तैयारी कर ली जाय।

xiii. सुखाड़ की स्थिति होने पर आपदा प्रबंधन विभाग निर्धारित मापदंड के आधार पर सुखाड़ की घोषणा हेतु आवश्यक तैयारी करेगा।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/–
(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव
बिहार

ज्ञापांक ...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/जल संसाधन विभाग/कृषि एवं लघु जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/पथ निर्माण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग /लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका/आयुक्त, मनरेगा/निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(एम0 रामचन्द्रुडु)
अपर सचिव

ज्ञापांक ...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि:– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव

ज्ञापांक ..../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

16

ह0/–

अपर सचिव

ज्ञापांक 2150 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 07-8-18

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेब साईड पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07/08/18

अपर सचिव